

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	3007.49	19.21	3026.70	3591.00	23.01	3614.01	3110.00	25.00	3135.00	3592.78	25.33	3618.11	
पूँजी	120.00	...	120.00	30.00	...	30.00	120.00	...	120.00	
जोड़	3007.49	19.21	3026.70	3711.00	23.01	3734.01	3140.00	25.00	3165.00	3712.78	25.33	3738.11	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	1.14	10.32	11.46	1.50	10.84	12.34	0.90	10.34	11.24	1.49	11.50	12.99
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण													
2. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान	2225	160.00	...	160.00	113.00	...	113.00	113.00	...	113.00	113.00	...	113.00
3. अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम	2225	23.68	...	23.68	22.50	...	22.50	29.17	...	29.17	45.00	...	45.00
	3601
	3602
जोड़		23.68	...	23.68	22.50	...	22.50	29.17	...	29.17	45.00	...	45.00
4. अल्पसंख्यकों के लिए विकास स्कीमों के प्रचार सहित अनुसंधान/ अध्ययन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन	2225
	2235	42.42	...	42.42	44.70	...	44.70	32.47	...	32.47	44.75	...	44.75
जोड़		42.42	...	42.42	44.70	...	44.70	32.47	...	32.47	44.75	...	44.75
5. स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियां	2225	0.25	...	0.25	295.65	...	295.65	310.65	...	310.65	309.10	...	309.10
	3601	258.08	...	258.08	6.25	...	6.25	6.25	...	6.25	5.80	...	5.80
	3602	1.57	...	1.57	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		259.90	...	259.90	302.00	...	302.00	317.00	...	317.00	315.00	...	315.00
6. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	0.28	...	0.28	2.75	...	2.75	1.75	...	1.75	979.97	...	979.97
	3601	958.81	...	958.81	982.25	...	982.25	1012.25	...	1012.25	10.00	...	10.00
	3602	3.90	...	3.90	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	0.03	...	0.03
जोड़		962.99	...	962.99	990.00	...	990.00	1017.00	...	1017.00	990.00	...	990.00
7. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति	2225	0.22	...	0.22	527.40	...	527.40	527.40	...	527.40	541.18	...	541.18

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	3601	514.92	...	514.92	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	8.80	...	8.80
	3602	0.53	...	0.53	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02
	जोड़	515.67	...	515.67	538.50	...	538.50	538.50	...	538.50	550.00	...	550.00
8. चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2225	0.68	...	0.68	8.00	...	8.00	3.26	...	3.26	7.64	...	7.64
	3601	949.28	...	949.28
	3602	3.52	...	3.52
	जोड़	953.48	...	953.48	8.00	...	8.00	3.26	...	3.26	7.64	...	7.64
9. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	50.02	...	50.02	45.00	...	45.00	0.90	...	0.90	44.85	...	44.85
	3601
	3602
	जोड़	50.02	...	50.02	45.00	...	45.00	0.90	...	0.90	44.85	...	44.85
10. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे राज्य सारणीकरण अभिकरणों (एससीए) को सहायता अनुदान	2225	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
11. संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सहायता	2225	1.95	...	1.95	3.60	...	3.60	2.10	...	2.10	3.60	...	3.60
12. मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता योजना	2225	1.80	...	1.80	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
13. हमारी धरोहर	2225	4.50	...	4.50	10.01	...	10.01
जोड़-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण अन्य सामाजिक सेवाएं		2972.11	...	2972.11	2070.90	...	2070.90	2059.71	...	2059.71	2125.66	...	2125.66
14. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2225	...	1.33	1.33	...	1.69	1.69	...	1.79	1.79	...	3.09	3.09
	2250
	जोड़	...	1.33	1.33	...	1.69	1.69	...	1.79	1.79	...	3.09	3.09
15. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2225	...	4.92	4.92	...	7.30	7.30	...	9.69	9.69	...	7.56	7.56
	2250
	जोड़	...	4.92	4.92	...	7.30	7.30	...	9.69	9.69	...	7.56	7.56
जोड़-अन्य सामाजिक सेवाएं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		...	6.25	6.25	...	8.99	8.99	...	11.48	11.48	...	10.65	10.65
16. अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना	2235	11.95	...	11.95	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	14.13	...	14.13
17. वक्फ को सहायता अनुदान	2235	...	2.68	2.68	...	3.15	3.15	...	3.15	3.15	...	3.15	3.15

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
18.	राज्य वक्फ बोर्ड के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण	2235	2.98	...	2.98	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70
19.	केंद्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान	2235	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
20.	राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	2225	1.91	...	1.91	6.30	...	6.30	3.60	...	3.60	6.08	...	6.08
		2235
		3601
		3602
		जोड़	1.91	...	1.91	6.30	...	6.30	3.60	...	3.60	6.08	...	6.08
21.	विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	3.60	...	3.60	3.50	...	3.50	4.19	...	4.19
22.	कुशलता विकास कार्यक्रम	2225	0.20	...	0.20	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.23	...	0.23
		2235	16.79	...	16.79	30.79	...	30.79	41.40	...	41.40	64.22	...	64.22
		जोड़	16.99	...	16.99	31.00	...	31.00	41.61	...	41.61	64.45	...	64.45
23.	लघु अल्पसंख्यक की जनसंख्या गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2235	0.41	...	0.41	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
24.	यूएसटीटीएडी (परम्परागत कला/शिल्प के विकास हेतु कौशल और परीक्षण का उन्नयन	2235	0.45	...	0.45	17.01	...	17.01
25.	सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	108.00	...	108.00	27.00	...	27.00	108.00	...	108.00
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			34.24	2.68	36.92	166.10	3.18	169.28	91.86	3.18	95.04	218.56	3.18	221.74
26.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थि परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	218.50	...	218.50	216.85	...	216.85	111.07	...	111.07
		4552	12.00	...	12.00	3.00	...	3.00	12.00	...	12.00
		जोड़	230.50	...	230.50	219.85	...	219.85	123.07	...	123.07
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना														
27.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	2552	138.00	...	138.00	62.05	...	62.05	127.75	...	127.75
		3601	1094.00	...	1094.00	704.41	...	704.41	1104.25	...	1104.25
		3602	10.00	...	10.00	1.22	...	1.22	12.00	...	12.00
		जोड़	1242.00	...	1242.00	767.68	...	767.68	1244.00	...	1244.00
28.	वास्तविक वसूलियां	2225	...	-0.04	-0.04
कुल जोड़			3007.49	19.21	3026.70	3711.00	23.01	3734.01	3140.00	25.00	3165.00	3712.78	25.33	3738.11
	विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
26.01	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	22225	108.00	...	108.00	27.00	...	27.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
जोड़		108.00	...	108.00	27.00	...	27.00	
ग. योजना परिव्यय														
केन्द्रीय योजना:														
1.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.14	...	1.14	1.50	...	1.50	0.90	...	0.90	1.49	...	1.49
2.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	22225	2929.69	...	2929.69	2026.20	...	2026.20	2027.24	...	2027.24	2080.91	...	2080.91
3.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	76.66	...	76.66	210.80	...	210.80	124.33	...	124.33	263.31	...	263.31
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	230.50	...	230.50	219.85	...	219.85	123.07	...	123.07
जोड़ - केन्द्रीय योजना		3007.49	...	3007.49	2469.00	...	2469.00	2372.32	...	2372.32	2468.78	...	2468.78	
राज्य योजना:														
1.	अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम	43601	1232.00	...	1232.00	766.46	...	766.46	1232.00	...	1232.00
जोड़ - राज्य योजना		1232.00	...	1232.00	766.46	...	766.46	1232.00	...	1232.00	
संघ राज्य क्षेत्र योजना :														
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)														
1.	अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम	43602	10.00	...	10.00	1.22	...	1.22	12.00	...	12.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		10.00	...	10.00	1.22	...	1.22	12.00	...	12.00	
जोड़		3007.49	...	3007.49	3711.00	...	3711.00	3140.00	...	3140.00	3712.78	...	3712.78	

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान:** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, अराजनीतिक, लाभ न कमाने वाली, सामाजिक सेवा संस्था है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रतिष्ठान की आय का एक मात्र स्रोत भारत सरकार द्वारा दी गई मूल निधि के निवेश पर अर्जित व्याज राशि है। प्रतिष्ठान की योजनाएं वर्तमान संस्थाओं के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए हैं।

3. **निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अपने ज्ञान, कौशल को बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र की नौकरियों में अवसर प्रदान करना तथा ख्यातिप्राप्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु सहायता प्रदान करना है।

4. **अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन:** इस योजना का उद्देश्य 15-सूत्रीय कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं और कार्यक्रमों का अध्ययन,

मूल्यांकन और निगरानी करना तथा मंत्रालय के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है।

5. **स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां:** यह छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए मैरिट-और-साधन के पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

6. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

7. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जा रही है, जो 11वीं तथा 12वीं कक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए मैरिट-सह-साधन की

पात्रता मानदंड पूरा करते हों। यह छात्रवृत्ति उन पात्र अल्पसंख्यक छात्रों को भी प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नाकोत्तर, पी.एच.डी. स्तर की सामान्य पाठ्यक्रम की शिक्षा पूरी करना चाहते हों।

8. **अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:** यह एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों/ग्राम समूहों में अपर्याप्त विकास की समस्या का समाधान करना है, जहां अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई अल्पसंख्यक आवादी अधिक है।

9. **अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम.फिल. और पी.एच.डी. स्तर की उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। योजना के तहत वे सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता मिली हो। यह अध्येतावृत्ति नियमित एवं पूर्णकालिक एम.फिल. और पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए शोध छात्रों को प्रदान की गई अध्येतावृत्ति की तर्ज पर है।

10. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यक्रम के कार्यान्वयन कार्य में लगे राज्य सरणीकरण अभिकरणों को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम राज्य सरणीकरण अभिकरणों के माध्यम से अपना कार्य संचालित करता है। राज्य सरणीकरण अभिकरणों में अवसंरचना, श्रम शक्ति और संसाधनों का अभाव है, जिस कारण यह निगम अपना कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहा है। सहायता अनुदान, इन राज्य सरणीकरण अभिकरणों को अपनी कार्यक्षमता और कार्य संचालन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रदान किया जा रहा है।

11. **संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता:** इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोग के समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए प्रीलिमिनरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, जो इस समय अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुपात की तुलना में बहुत कम हैं।

12. **मौलाना आजाद मेडिकल सहायता योजना:** अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के मेडिकल उपचार हेतु है।

13. **हमारी धरोहर:** हमारी धरोहर नामक नई योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगी।

14. **भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** यह प्रावधान भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पर होने वाले प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए है।

15. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर होने वाले प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए है।

16. **अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना:** विकास कार्य का लाभ वंचित महिलाओं को पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व-प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जा रहा है ताकि वे अपने घर-समाज से बाहर आकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध सेवा, कौशल और अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आकर निडरता से नेतृत्व की भूमिका निभा सके।

17. **वक्फ को सहायता अनुदान:** यह योजना शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए वक्फ संस्थानों को आगे ऋण प्रदान करने हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के आशय से है।

18. **राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण:** इस योजना का कार्यान्वयन वक्फों से सम्बद्ध संयुक्त संसदीय समिति के 9वें प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं के अनुसरण में किया जा रहा है। इस योजना के तहत वक्फ अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों, केन्द्रीय वक्फ परिषद तथा राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र/एनआईसीएसआई को वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।

19. **केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान:** यह प्रावधान केन्द्रीय वक्फ परिषद के प्रशासनिक व्यय के आशय से है।

20. **राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण:** इस योजना का कार्यान्वयन वक्फों से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अपने 9वें प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं के अनुसरण में किया गया है। योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। राज्य वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार के साथ वक्फ संपत्तियों से संसाधन सृजित किए जा सकेंगे जिन्हें गरीब मुस्लिमों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।

21. **विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी:** विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के चयनित छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नई योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

22. **कौशल विकास पहलें:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध उन शहरी तथा ग्रामीण जीविकोपार्जकों जिन के पास कोई कौशल नहीं है, को रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनके समग्र विकास में सुधार लाना है। जो पहले से ही कौशल प्राप्त हैं, इस योजना में उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु उनके कौशल का उन्नयन करना है और ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर ऋण प्राप्त करने हेतु उनके उद्यमों के विस्तार में सहायता प्रदान करना है, ताकि इसका बेहतर मूल्यवर्धक परिणाम प्राप्त हो सके।

23. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट पर नियंत्रण की योजना:** इस योजना को सहायता अनुदान के रूप में शतप्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से केन्द्र क्षेत्रक योजना के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। योजना का कार्यान्वयन संबद्ध छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/सोसायटीयों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना है।

24. **उस्ताद (विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन):** हमारे देश की परंपरागत कलाओं/शिल्पों को संरक्षित करने और अल्पसंख्यक समुदायों की परंपरागत दस्तकारों और शिल्पकारों के क्षमता निर्माण के लिए उस्ताद (विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) का अनुमोदन किया गया है। यह योजना एक ओर हमारे देश के समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगी वहीं दूसरी ओर यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ संबंध स्थापित करेगी और श्रमिकों के सम्मान को सुनिश्चित करेगी।

25. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को शेयर पूँजी उपलब्ध कराने के लिए है।

26. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

27. **अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:** यह एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों/नगरों/ग्राम समूहों में अपर्याप्त विकास की समस्या का समाधान करना है, जहाँ अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई अल्पसंख्यक आबादी अधिक है।